राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3(ख)/(सी–678/79)/अलेसे–II/ 21 दिनांक :– 04-04-19

कार्यालय आदेश

श्री छोटूलाल खाती, तत्कालीन लेखाकार कार्यालय कोषालय टोंक को 200 रूपये की रिश्वत लेते हुए अपराध संख्या 122/2006 में रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.2(5) (क–26) (सी–3) अलेसे–II 266–275 दिनांक 16.05.2006 द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री खाती को तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया गया था। निदेशालय के आदेश संख्या 13/2012–13 दिनांक 25.04.2012 द्वारा वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(1) वित्त/ राजस्व/ 2012 दिनांक 24.04.2012 से प्राप्त अनुशंषा के क्रम में श्री खाती को निलंबन से तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाकर इनका पदस्थापन पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ में किया गया तथा निलंबन अवधि का निर्णय न्यायालय के निर्णय के अध्ययधीन रखा गया था।

श्री छोटूलाल खाती, जो दिनांक 30.06.2015 को कार्यालय पंचायत समिति डग से सेवानिवृत्त हो चुके थे, की मृत्यु दिनांक 30.09.2017 को हो जाने से माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2017 द्वारा कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप कर दी गई है। श्री खाती के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित/ प्रस्तावित नहीं होने का प्रमाण पत्र इस निदेशालय के पत्र क्रमांक 2210 दिनांक 16.11.2018 द्वारा जारी किया जा चुका है। चूँकि माननीय न्यायालय द्वारा स्व. श्री खाती के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को ड्रॉप कर दिया गया है, अतः स्व. श्री खाती की निलंबन काल की अवधि दिनांक 16.05.2006 से दिनांक 25.04.2012 तक को सेवा में शुमार (नियमित सेवा) करते हुए समस्त वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन परिलाभ नियमानुसार दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। निलंबन काल में भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते की राशि को आवश्यक रूप से समायोजित किया जावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3(ख)/(सी–678/79)/अलेसे–II/ 21 दिनांक :– 04-04-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् झालावाड़।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति डग, जिला झालावाड़ को उनके पत्र क्रमांक 69–71 दिनांक 18.01.2019 के क्रम में।
3. श्रीमति गीता देवी धर्मपत्नि स्व. श्री छोटूलाल खाती, मकान नं. बी–40, पटेल नगर, देवली जिला टोंक राजस्थान, पिन कोड–304804
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. रक्षित पत्रावली/ निजी पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)